न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 119/2024

अनवान : –

1. पृथ्वीराज पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. मुखत्यार कौर पत्नी बिल्लूराम जाति बाजीगर निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री परगजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

श्री श्योकत अली अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 27/01/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं0 3 एफटीपी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 37/34 में प0न0 219 / 239 मु0 16 किलानं0 8 ता 10 कुल 0.759 है0 नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से तकनं0 3 एफटीपी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 25 / 24 में प0न0 219 / 239 मु0 56 किलानं0 1,2,3,4 कुल 1.012 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमावन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी को अपनी आराजी चक 3 एफटीपी के प0न0 219 / 239 मु० 16 किलानं0 8,9,10 में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है । अप्रार्थीया के नाम से दर्ज आराजी पूर्व में गुरदेव कौर पत्नी प्रीतमसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिससे प्रार्थी ने चक नं0 3 एफटीपी के पवन० 219 / 239 मु0 56 किलानं0 1 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता लिया हुआ था व गुरदेव कौर को किलानं० 8, 9, 10 में भूमि दी हुई थी, जिससे होकर प्रार्थी अपनी रिहायशी ढाणी जो किला नं0 10 में बनी हुई है व अपनी आराजी में प्रवेश करता चला आ रहा है, उक्त रास्ता 20 वर्षो से चालू है तथा उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता अपनी आराजी में आवागमन के लिए नही है । प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे दर्ज चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी आराजी व रिहायशी ढाणी में आवागमन करता चला आ रहा है गुरदेवकौर से भूमि अप्रार्थीया सं0 1 ने खरीद कर ली है, लेकिन वर्तमान मे प्रार्थी की आराजी में आवागमन के लिए कोई मन्जूरशुदा रास्ता नही है । प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है । प्रार्थी, अप्रार्थीया सं0 1 की आराजी के किलानं० 1 की पश्चिमी हिस्सा में से आवागमन करता चला आ रहा है

लेकिन उक्त रास्ता कागजात माल में स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थीया सं० 1 किसी भी वक्त उपरोक्त चालू रास्ता को बंद कर सकती है अतः ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीया अपने इस गैर कानूनी मकसद में कामयाब हो गयी तो मुझ प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी । इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीया सं० 1 की आराजी चक नं० 3 एफटीपी के प०न० 219/239 मु० 56 किलानं० 10 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर 013 है० चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहता है। रास्ता की आराजी के बदले में प्रार्थी, अप्रार्थीया को चिपती जगीन उसके नाम करवाने अथवा जिला स्तरीय कमेटी के दोगुणा कीमत देने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र बाबत, रास्ता स्वीकृति की है जो पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है तथा अन्दर मियाद पेश है । लिहाजा दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि चक नं0 3 एफटीपी के प0न0 219 / 239 मु0 56 किलानं 1 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर .013 है0 चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर कागजात माल में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के बाद अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, अधिवक्ता अप्रार्थी को जवाब पेष करने हेतु कई अवसर दिय गये अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा आदेषिका दिनांक 25.11.2025 को जवाब पेष नही करने का अंकन किया। राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा उक्त प्रकरण में पत्रांक राजस्व/रीडर/2025/2265/दिनांक 28.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी, मुताबिक तहसीलदार राजस्व टिब्बी रिपोर्ट प्रार्थी की ढाणी किला न0 10 में बनी हुई है प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है प्रस्तावित रास्ते की प्रार्थी को आवष्यकता है अप्रार्थी के पुत्र ने मौके पर रास्ता दने की सहमति बताई। तहसीलदार रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों मय नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत वाद में प्रार्थी ने चक नं0 3 एफटीपी के प0न0 219/239 मु0 56 किलानं 1 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर .013 है0 चौडा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है जो अप्रार्थी की ढाणी में प्रवेश हेतु निकटतम रास्ता है उक्त रास्ते के अलाव अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्कतकारी अधिनियम 251 ए प्रावधानों के सुसंगत होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर
टिब्बी

अतः उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए स्वीकार किया जाकर चक नं0 3 एफटीपी के प0न0 219/239 मु0 56 किलानं 1

की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर .013 है0 चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के वदले अप्रार्थी की भूमि के चिपते प्रार्थी के 3 एफटीपी के प0न0 219/239 मु0 56 किलानं 8, उत्तरी दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व उतना ही अप्रार्थी के नाम से दर्ज किया जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो उक्तानुसार गै0मु0 रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकन करे।

निर्णय आज दिनांक 27/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण मेहरा R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़